संख्या 369 / VI-I, / 2008–3 (2) 2004

प्रेषक,

एन0एस0नेगी,
अपर सचिव,,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एव प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कल्याण अनुभाग: देहरादून दिनांक 30 दिसम्बर 2008

विषयः जनपद नैनीताल के अर्न्तगत बेतालघाट में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु अवशेष धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 876 / दो–1708 / 2008–2009, दिनांक 22 नवम्बर 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 47 / VI-I / 2006–2(9)2005 दिनाक 25 फरवरी 2006 एवं शासनादेश संख्या–25 / VI-I / 2006–3(2)2004 दिनांक 28 मार्च 2008 के क्रम में जनपद नैनीताल के अर्न्तगत बेतालघाट में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में अवशेष धनराशि रू0 55.05 लाख(रू0 पचपन लाख पांच हजार मात्र) अन्तिम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के आधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म हैं, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। निर्माणार्थ को तेजी कराये जाने हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए तथा कार्य के प्रगति की निरंतर समीक्षा करते हुए स्वीकृत की जा रही धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग तथा कार्य पूर्ण किया जाना इसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा।

(ख) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे।

(ग) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई हैं, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

(घ) उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती हैं कि, मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशो के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हैं। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। मितव्ययता नितान्त आवश्यक हैं। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सबध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ड.) शासनादेश संख्या–03/VI-I/2006–2(13)/2006 दिनाक 3.3.07 में निर्धारित सभी शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

(च) व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया है।

2. उपरोक्त व्यय अनुदान संख्या –11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –2204– खेलकूद तथा युवा सेवायें –00–001 निदेशन तथा प्रशासन –07– ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम–00––24–बृहद निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या –514 (P)XXVII(3)08-09 दिनाक 19 दिसम्बर 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एन0एस0नगी)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्याः–369 /VI-I/2008–3(2)2006 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
6– जिलाधिकारी, नैनीताल।
7– एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
8– परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पहेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम रामनगर नैनीताल।
9– जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नैनीताल।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एस0एस0वलिदया)
उप सचिव